कुल अंक उल्लिखित किये जायेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये हों।]

[1][20. **निरसन और विधि मान्यकरण**—(1) समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 0-1119/2-बी-50, दिनांक 11 जुलाई, 1950 के अधीन प्रकाशित अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक कर्मचारी की भर्ती के नियम दिनांक 5 जून, 1974 से निरस्त हो जायेंगे और निरस्त हुए समझे जायेंगे।

(2) किन्हीं लिपिक वर्ग के पदों पर सुसंगत समय में अधिसूचना संख्या 27/2/1974-कार्मिक, दिनांक 29 जुलाई, 1975 के साथ जारी की गयी नियमावली के अनुसार किया गया कोई चयन या की गई कोई नियुक्ति यथास्थिति विधिमान्य चयन या विधिमान्य नियुक्ति समझी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त नियम के अनुसार चुने गये व्यक्ति केवल 30 नवम्बर, 1979 तक उपलब्ध रिक्तियों में नियुक्त किये जायेंगे और उसके पश्चात् सूची रद्द हो जायेगी।]

21. **तदर्थ नियुक्ति**—यदि चुने गये अभ्यर्थियों की सूची निःशेषित हो जाये या चुने गये अभ्यर्थियों की सूची से कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो तो सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः मास से अनधिक अवधि के लिये पात्र अभ्यर्थियों की तदर्थ नियुक्ति की जा सकती है।

14

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संख्या 27/2/1974-कार्मिक

दिनांक 29 जुलाई, 1975

विषय : चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975.

Subject: Class IV Employees Service Rules, 1975.

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खन्ड द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय पर समस्त वर्तमान नियमों तथा आदेशों को अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ वर्ग की कतिपय श्रेणी के पदों पर भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने की निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975

भाग-1

सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ**—(1) यह नियमावली चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सेवा नियमावली 1975 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

[2][2. **इस नियमावली का लागू होना**—यह नियमावली नियम 4 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में, नियम 6 में निर्दिष्ट सभी चतुर्थ वर्ग (अब समूह 'घ') के पदों पर लागू होगी।]

---

1. Amended/deleted by Notification 27/2/1974-Karmik-2, dated 11th October 1979.
2. शासनादेश संख्या 17/2/74-का० 2, दिनांक 15-9-82 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा संशोधित जो दिनांक 11-10-1979 से प्रवृत्त माना जायेगा।

Scanned by CamScanner

3. **इस नियमावली का अधिभावी प्रभाव**—इस नियमावली और किसी विभाग में उपर्युक्त किसी पद से सम्बन्धित किसी विशिष्ट नियम या नियमों के बीच कोई असंगति होने की दशा में—

(1) यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों तो इस नियमावली के उपबन्ध असंगति की सीमा तक अधिभावी होंगे, और

(2) यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाये जायें तो विशिष्ट नियम के उपबन्ध अधिभावी होंगे।

4. **परिभाषायें**—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य विशिष्ट विभाग में ऐसे अधिकारी से है जो किसी श्रेणी या श्रेणियों के पदों, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाये;

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ग) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(घ) ''अधिष्ठान'' का तात्पर्य चतुर्थ वर्ग के उस अधिष्ठान से है जिसके अन्तर्गत पद हो;

(ङ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) ''उच्च न्यायालय'' का तात्पर्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद से है जिसके अन्तर्गत उसकी लखनऊ बेंच भी है;

[1](ज) ''अधीनस्थ कार्यालय'' का तात्पर्य निर्देश सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता और महाधिवक्ता के नियन्त्रणाधीन अधिष्ठान के कार्यालयों को छोड़कर सरकार के नियंत्रण में समस्त कार्यालयों से होगा।

[1](जज) ''छटनी किया गया कर्मचारी'' का तात्पर्य राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर निम्नलिखित रूप में नियोजित व्यक्ति से है :—

(1) स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में;

(2) कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये, जिसमें कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिये;

(3) अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण जिसे सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता हो; और

(4) जिसके सम्बन्ध में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है।

(झ) ''भर्ती'' का तदर्थ किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से बारह मास की अवधि से है।

भाग 2

संवर्ग

5. **सेवा की सदस्य संख्या**—किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में चतुर्थ वर्ग के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसके प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये :—

---

1. विज्ञप्ति सं० 27/2/1974-का०-2, दिनांक 11-10-79 (तृतीय संशोधन) द्वारा संशोधित।

Scanned by CamScanner

प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं और ऐसा किये जाने पर कोई व्यक्ति प्रतिकर का अधिकारी न होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रशासकीय विभाग, कार्मिक विभाग तथा वित्त विभाग के परामर्श से किसी अधिष्ठान में समय-समय पर ऐसे स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकता है, जो आवश्यक हो।

भाग 3
भर्ती

6. भर्ती के स्रोत—चतुर्थ वर्ग के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का स्रोत निम्न लिखित होगा :—

(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्राश, सफाईकार, पानीवाला, भिश्ती, टंडेल, ठेलामैन, फायरगार्ड, अभिलेख दफ्तरी और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद (जिसका वेतनमान इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय 165-215 रुपये है) — सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) चपरासी, जमादार (जिसका वेतनमान इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय 170-225 रुपये है) — स्थायी चपरासियों में से पदोन्नति द्वारा।

(ग) दफ्तरी जिल्दसाज/ साइक्लोस्टाइल आपरेटर अर्हित चपरासियों, सन्देशवाहक फर्राशों में से (जिसका वेतन मान इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय 170-225 रुपये है) — पदोन्नति द्वारा।

(घ) फर्राश जमादार (जिसका वेतनमान इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय 170-225 रुपये है) — स्थाई फर्राशों में से पदोन्नति द्वारा।

(ङ) सफाईकार जमादार (जिसका वेतनमान इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय 170-225 रुपये है) — स्थाई सफाईकारों में से पदोन्नति द्वारा।

(च) प्रधान माली (जिसका वेतनमान इस नियमावली के प्रारंभ होने के समय 170-225 रुपये है)। — स्थायी मालियों में से पदोन्नति द्वारा।

प्रतिवन्ध यह है कि यदि किसी विशिष्ट पद पर, जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो, पदोन्नति के लिये कोई पात्र अभ्यर्थी/उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो उस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

भाग 4
अर्हता

7. आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों, यदि कोई हों, के लिये आरक्षण के समय आरक्षण के लिये प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

8. राष्ट्रीयता—चतुर्थ वर्ग के पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी का—

(क) भारत का नागरिक, या

Scanned by CamScanner

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका तथा पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, उगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (जिसका पहले तांगानीका और जंजीबार नाम था) से प्रवजन किया हो, होना आवश्यक है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी को पुलिस उप-महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना भी अपेक्षित होगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का है तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात् सेवा में तभी रहने दिया जायेगा, यदि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके विषय में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह उसे न तो दिया गया हो, न देने से इन्कार किया गया हो, किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है और उसे इस शर्त पर अस्थायी रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र या तो वह प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में जारी किया जाय।

[1][**9. आयु**—चतुर्थ वर्ग (अब समूह 'घ') के पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की जिसमें भर्ती के लिये आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जायँ, आगामी पहली जनवरी की 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु 30 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो :

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी किन्हीं अन्य श्रेणियों के, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में आयु की अधिकतम सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।]

10. शैक्षिक अर्हतायें—(1) चपरासी सन्देशवाहक या साइक्लोस्टाइल आपरेटर के पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी को कम से कम पाँचवीं कक्षा की परीक्षा में उतीर्ण होना चाहिये।

(2) किसी अन्य श्रेणी के पद के लिये कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है, किन्तु उस व्यक्ति को अधिमानता दी जायेगी जो शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता हो।

(3) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे माली के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और अच्छा अनुभव न हो।

(4) कोई व्यक्ति दफ्तरी/जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और अच्छा अनुभव न हो।

(5) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल आपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद, जिसके लिये तकनीकी ज्ञान अपेक्षित न हो, पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में अच्छा अनुभव न हो।

(6) चतुर्थ वर्ग के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो। प्रतिबन्ध यह है कि यह शर्त महिला अभ्यर्थी पर लागू न होगी।

(7) अन्य बातों के समान होने पर, उस अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में अधिमानता दी जायेगी, जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की हो।

---

1. Amended by Notification No. 27/2/1974 Karmik (2) dated October 11, 1979.

Scanned by CamScanner

11. भूतपूर्व सैनिकों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिये छूट—भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में कार्यरत मरने वाले सेवकों और खिलाड़ियों के पक्ष में आयु की अधिकतम सीमा, शैक्षिक अर्हता या/और भर्ती की प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस सम्बन्ध में प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियम या आदेश के अनुसार होगी।

[1][**11. क.** छटनी किये गये कर्मचारियों के लिये शिथिलीकरण—

(1) छटनी किये गये कर्मचारी को उच्चतम आयु सीमा में उसके द्वारा की गई राज्य सरकार की सेवा की अवधि के साथ-साथ छटनी किये जाने के फलस्वरूप सरकारी नौकरी के बिना व्यतीत की गई अवधि तक की छूट दी जायेगी।

(2) छटनी किये गये कर्मचारी के विषय में जो राज्य सरकार की सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति के दिनांक को ऐसी शैक्षिक योग्यता रखता हो, जो उस दिनांक को ऐसे पद के लिये विहित थी, जिसके लिये अब आवेदन किया जा रहा है, यह समझा जायेगा कि उससे ऐसे पद की शैक्षिक योग्यता की अपेक्षा का समाधान हो जाता है।

(3) इस नियम के प्रयोजनार्थ पद ''छटनी किया गया कर्मचारी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो राज्यपाल के नियम बनाने के नियन्त्रण में किसी सेवा में या किसी पद पर मौलिक, स्थानापन्न, या अस्थायी रूप से नियोजित था और जिसने कम से कम एक वर्ष की अवधि तक लगातार सेवा की हो और जिसकी सेवायें इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् अधिष्ठान में कमी किये जाने के कारण समाप्त कर दी जाये या समाप्त की जा सके और जिसके सम्बन्ध में सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा छटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, जिसे तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो।

स्पष्टीकरण—सम्बद्ध सेवा या पद पर प्रयोज्य भर्ती नियमावली या आदेशों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्ति को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया नहीं समझा जायेगा।

12. चरित्र—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र इस प्रकार का अवश्य होना चाहिये जिससे कि वह अधिष्ठान में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लें।

टिप्पणी—राज्य सरकार, संघ सरकार या किसी अन्य राज्य द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी नियम द्वारा पदच्युत व्यक्ति पात्र नहीं समझे जायेंगे।

13. वैवाहिक स्थिति—अधिष्ठान में नियुक्ति के लिये ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों, या ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पत्नी पहले से ही जीवित हो :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपल इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को मुक्त कर सकते हैं यदि उनका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है।

14. स्वस्थता—कोई भी व्यक्ति, अधिष्ठान में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्तपुस्तिका, खन्ड 2, भाग 2 में दिये

---

1. Added by Notification no. 27/2/1974- Karmik (2) dated July 6, 1977 to come into effect for three years and later amended by Notification dated October 11, 1979.

Scanned by CamScanner

गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

[1][15. निकाल दिया गया।]

भाग 5

चयन समिति

[2][**16. चयन समिति का गठन**—किसी पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ निम्न रूप से एक चयन समिति का गठन किया जायेगा।

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी।

(तीन) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी और यदि ऐसा कोई अधिकारी न हो तो जिला अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी ।]

टिप्पणी—जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी या उसके स्थान पर जिलाधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि चयन करने में आरक्षण से सम्बन्धित सरकारी आदेशों का अनुपालन किया जाता है।

17. भर्ती प्रतिवर्ष की जायेगी—जिसमें समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के लिये इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन रिक्तियाँ होने पर भर्ती वर्ष में एक बार किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी विशिष्ट जिले में या किसी जिले के भीतर किसी विशिष्ट कार्यालय/कार्यालयों के लिये द्वितीय या कोई अनुवर्ती भर्ती भी की जा सकती है।

[3][18. निकाल दिया गया।]

[4][**19. चयन कि प्रक्रिया**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा, रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेंगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से, जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराया हो आवेदन-पत्र सीधे भी आमंत्रित कर सकता है। नाम चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।]

(2) जब चयन समिति द्वारा सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों (जिनके लिये सरकार के आदेशाधीन रिक्तियाँ आरक्षित करना अपेक्षित हो), दोनों के नाम प्राप्त हो जायें तब वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और विभिन्न पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

(3) चयन समिति चयन करने में छटनी किये गये कर्मचारियों को निम्नलिखित रूप से अंक देकर महत्व देगी—

(एक)	सेवा के पूरे किये गये प्रथम वर्ष के लिये	....	5 अंक
(दो)	सेवा के आगामी और प्रत्येक पूरे किये गये वर्ष के लिये	....	5 अंक

प्रतिबन्ध यह है कि छटनी किये गये किसी कर्मचारी को इस उप-नियम के अधीन 15 से अधिक अंक नहीं दिये जायेंगे।

(4) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ऐसे रिक्तियों की, जिनके लिये चयन किया गया है, संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। चयन सूची में नाम साक्षात्कार में दिये गये अंकों के अनुसार क्रमबद्ध किये जायेंगे।

---

1. Deleted by Notification no. 27/2/1974 Karmik (2) dated October 11, 1979.
2. Amended by Ibid.
3. Deleted by Notification no. 27/2/1974 Karmik (2) dated October 11, 1979.
4. amended by Ibid.

Scanned by CamScanner

[1][20. निकाल दिया गया।]

21. **सामान्य सूची**—जब चयन किये गये सामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जायं, तब नियक्ति प्राधिकारी उन्हें एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध करेगा। प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची से और उसके पश्चात् आरक्षित अभ्यर्थियों का नाम होगा और इसी प्रकार आगे भी। इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 के प्रारम्भ होने के पूर्व चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975 में विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन किये गये व्यक्ति 30 नवम्बर, 1979 तक उपलब्ध रिक्तियों में नियुक्त किये जायेंगे और उसके पश्चात् सूची रद्द हो जायेगी।

भाग 6

पदोन्नति

22. **पदोन्नति की प्रक्रिया**—(1) सभी पदों के सम्बन्ध में पदोन्नति का मानदन्ड, अयोग्य व्यक्तियों को छोड़कर, ज्येष्ठता होगी।

(2) पदोन्नति एक ही अधिष्ठान में, पात्र अभ्यर्थियों में से विभागीय चयन समिति द्वारा चयन करके ही की जायेगी, विभागीय चयन समिति, जिसमें तीन सदस्य होंगे, का गठन विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार किया जायेगा।

23. **नियुक्ति**—(1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, नियम 21 या 22 के अधीन तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूची से उसी क्रम में नियुक्तियाँ करेंगे जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सूची में आये हों।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूची से और उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रीति से स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों में भी नियुक्ति करेंगे।

(3) जब चुने गये अभ्यर्थियों की सूची निःशेषित हो जाये अथवा चुने गये अभ्यर्थियों में से नियुक्ति के लिये कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों में से तदर्थ नियुक्ति कर सकते हैं।

प्रतिबन्ध यह है कि छः मास से अनधिक अवधि के लिये तदर्थ सीधी नियुक्ति नहीं की जायेगी।

24. **परिवीक्षा**—(1) अधिष्ठान में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अधिष्ठान के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा की गणना उक्त पद के लिये परिवीक्षा अवधि की गणना करने में की जा सकती है।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने के कारणों से एक मामले में परिवीक्षा अवधि को किसी विनिर्दिष्ट दिनांक तक के लिये बढ़ा सकते हैं।

(2) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या अन्य प्रकार से अपना कर्त्तव्य पालन करने में असफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या, यदि किसी पद पर उसका धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं, जिसके लिये वह किसी भी स्थिति में प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

---

1. Deleted by Notification no. 27/2/1974 Karmik (2) dated October 11, 1979.

Scanned by CamScanner

भाग 7

स्थायीकरण

25. स्थायीकरण—परिवीक्षाधीन व्यक्ति यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में अपने पद पर स्थायी कर दिया जायेगा यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाये और नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायी किये जाने के योग्य समझे और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाये।

26. ज्येष्ठता—अधिष्ठान के सदस्यों की प्रत्येक श्रेणी के पदों पर ज्येष्ठता उस श्रेणी में मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण—यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्ति किये जायें तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता उसी क्रम में अवधारित की जायेगी जिस क्रम में उनकी नियुक्ति की गयी हो।

टिप्पणी—सीधी भर्ती वाला व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि वह नियुक्ति प्रस्ताव भेजने पर पर्याप्त कारण बिना पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता। किसी विशिष्ट मामले में कारण पर्याप्त है या नहीं, इसका अवधारण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग 8

वेतन

27. वेतनमान—अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न अस्थायी रूप में नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

28. परिवीक्षा-अवधि में वेतन—(1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में नहीं है परिवीक्षा अवधि में इस शर्त पर कि उसका कार्य संतोषजनक है वेतन-वृद्धि पायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि यदि संतोषजनक कार्य न करने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ा दी जाये तो बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की गणना वेतन वृद्धि से लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) परिवीक्षा-अवधि के दौरान उस व्यक्ति का, जो पहले से अस्थायी सरकरी सेवा में हो, वेतन नियम 32 में निर्दिष्ट सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

29. दक्षता-रोक पार करने का मानदण्ड—किसी व्यक्ति की दक्षता-रोक पार करने की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने अविचलित रूप से और अपनी बुरी योग्यता से कार्य न किया हो, उसका आचरण अच्छा न रहा हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

30. सेवा-निवृत्ति—चतुर्थ वर्ग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु सरकार के सुसंगत नियमों/आदेशों के अनुसार होगी।

भाग 9

अन्य उपलब्ध

31. पक्ष समर्थन—इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न सिफारिशों पर चाहे वे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य उपायों द्वारा अपनी अभ्यर्थता के लिये समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास नियुक्ति के लिये उसे अनर्ह कर देगा।

32. अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों तथा आदेश द्वारा नियन्त्रित होंगे जो उत्तर प्रदेश के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हों।

Scanned by CamScanner

33. सेवा की शर्तों में शिथिलता—यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन के किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कष्ट होता है तो वह उस मामले में प्रयोज्य नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह उस मामले को न्याय और साम्यपूर्ण ढंग से निपटाने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त कर सकती है या शिथिल कर सकती है।

टिप्पणी—लिपिक वर्गीय पदों पर सीधी भर्ती के लिये विज्ञप्ति संख्या 27/2/1974-पसर्नल दिनांक 29 जुलाई, 1975 द्वारा, शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट परीक्षा प्राप्त करने की निर्धारित है जो इन्टरमीडिएट शिक्षा उ० प्र० या अन्य समकक्ष मान्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों।

15

सं० 4/2/1977 (14) कार्मिक-1

कार्मिक अनुभाग—1

लखनऊ, दिनांक 30 जनवरी, 1979

कार्यालय ज्ञापन

विषय : परीक्षाफल घोषित होने के एक वर्ष बाद हुई रिक्तियों के लिये आवंटन में परिवर्तन नहीं।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ कि लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के आधार पर प्रदेश की कतिपय राज्य सेवाओं में सीधी भर्ती की जाती है। इस परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा जिन अभ्यर्थियों की संस्तुति की जाती है उनका आवंटन उनकी परीक्षा में श्रेष्ठता तथा उनके द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिये दी गई अधिमानता के आधार पर विभिन्न सेवाओं में आवंटन कर दिया जाता है। आवंटन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने के उपरान्त सम्बन्धित व्यक्तियों के नियुक्ति के आदेश जारी कर देते है।

2—सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी होने के उपरान्त कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जिन अभ्यर्थियों को किसी विशेष सेवा के लिये आवंटित किया जाता है वे उन पदों का कार्यभार ग्रहण न करके कहीं अन्यत्र सेवा में चले जाते हैं। उदाहरण स्वरूप जो अधिकारी पी० सी० एस० के लिये आवंटित किये जाते हैं उनमें से कुछ आई० ए० एस० अथवा एलाइड सेवाओं में भर्ती हेतु चुन लिये जाते हैं। ऐसा होने पर पी० सी० एस० में नियुक्ति का आफर स्वीकार न करते हुए कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार की जो रिक्तियां होती हैं उन्हें अन्य सेवाओं में आवंटित अथवा प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों में से की जाती रही है। कतिपय ऐसे अवसर आये हैं कि पूर्व में किये गये आवंटन में परिवर्तन कई वर्षों बाद किये जाते हैं जिससे अनेक व्यावहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। इन कठिनाइयों के निराकरण हेतु शासन के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन रहा है कि सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के आधार पर विभिन्न सेवाओं में भरती हेतु परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त कोई समय निर्धारित कर दिया जाये जिसके बाद किसी परीक्षा विशेष के परीक्षाफल के आधार पर अभ्यर्थियों का आवंटन न किया जाय।

3—शासन ने समुचित विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के दिनों से एक वर्ष के बाद किसी भी सेवा में हुई रिक्तियों के लिये किये गये आवंटनों में कोई परिवर्तन नहीं लिया जायेगा और उक्त रिक्तियों के लिये उस परीक्षाफल का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4--यह आदेश तुरन्त लागू होंगे। इन आदेशों के जारी होने के पूर्व किसी परीक्षा में परीक्षाफल के आधार पर लोक सेवा आयोग के परामर्श से मूल आवंटन में किये गये परिवर्तन इन आदेशों से प्रभावित नहीं होंगे।

Scanned by CamScanner

2. लोक सेवा आयोग के परिधि से बाहर

16

Notification No. 1988, 75-(2)-Karmik-1

dated May 14, 1979

विषय : उ० प्र० (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979।

Subject: U. P. (Posts beyond the purview of Public Service Commission) Adhoc Appointment Regularisation Rules 1979.

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितिकरण नियमावली, 1979।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों को छोड़कर राज्यपाल की नियम विधायी शक्ति के अधीन सभी पदों पर लागू होगी।

2. किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह नियमावली अधिभावी होगी।

3. **परिभाषा**—जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो—

(एक) किसी पद के सम्बन्ध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है।

(दो) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

4. **तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण**—(1) किसी व्यक्ति को—

(एक) जो सेवा में 1-1-1977 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को, उस रूप में, निरन्तर सेवारत हो,

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिये विहित अपेक्षित अर्हतायें रखता हो, और

(तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या

यथास्थिति, पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में, जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिये, ऐसी रिक्ति में, संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता-क्रम में तैयार करेगा जैसा कि नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेशों में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची की अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिलेखों सहित, जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिये आवश्यक हो, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उप नियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी।

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। सूची में नाम ज्येष्ठता क्रम में रखे जायेंगे, और वह उसे नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी।

5. नियुक्तियाँ—नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 4 के उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त नियम के उप नियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।

6. नियुक्तियों को संगत सेवा नियमों आदि के अधीन किया गया समझा जायेगा—इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियाँ संगत सेवा नियमों के आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन की गई समझी जायेगी।

7. ज्येष्ठता—(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा, और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा नियमों या, यथास्थिति नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी।

8. सेवा की समाप्ति—ऐसे व्यक्ति की सेवा, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो उपयुक्त न पाया जाये या जिसका मामला इस नियमावली के नियम-4 के उपनियम (1) के अधीन न आता हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

[1][**9. नियमावली के विस्तार**—इस नियमावली के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित किसी ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होंगे जो दिनांक 1 मई, 1983 को या इसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग) के क्षेत्र के बाहर के पदों पर (तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण) (संशोधन) नियमावली, 1984 के प्रारम्भ के दिनांक को इस प्रकार सेवा में बना रहा हो।]

[2][**"10—नियमावली के विस्तार**—"इस नियमावली के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित किसी ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होंगे जो दिनांक 1 अक्टूबर, 1986 को या इसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों की विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक की इस प्रकार सेवा में बना रहा हो।"

---

1. शा० स० 19/5/1981—कार्मिक-1, दि० 22-5-84 से तात्कालिक तिथि से प्रभावी।
2. अधिसूचना स० 15/18/86 का० 1 (2) दि० 7/8/1989 द्वारा संशोधित।

Scanned by CamScanner